उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

BOARD OF SCHOOL EDUCATION UTTARAKHAND, RAMNAGAR (NAINITAL)

Phone No-05947-254275 E-mail: secy-ubse-uk@nic.in Website- www.ubse.uk.gov.in

महत्वपूर्ण/ई–मेल

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक–उ०वि०शि०प०/शोध/पाठ्यक्रम (2025–26)/05–14 /2025–26 दिनांक 07 अप्रैल, 2025

विषय– सत्र 2025–26 हेतु हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर संचालित विषयों का पाठ्यक्रम परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 की अनुशंसाओं के अनुसार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का शिक्षण और आकलन दक्षता–आधारित होना आवश्यक है। यह केवल रटकर याद करने, सतही समझ विकसित करने या सीमित अनुप्रयोग कौशल तक सीमित न होकर, व्यापक और बहुआयामी शिक्षण पद्धतियों को अपनाने पर बल देता है। इस दृष्टिकोण के तहत विद्यार्थियों को विषयवस्तु को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से उसका विश्लेषण करने, गहन मूल्यांकन करने और नवीन विचारों का सृजन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षण–अधिगम–आकलन की प्रक्रिया को इस प्रकार संरचित किया जाना चाहिए कि वह विद्यार्थियों के तार्किक, आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन कौशलों को विकसित करने में सहायक हो। इसके अतिरिक्त, आकलन की प्रक्रिया को केवल ज्ञान के मापन तक सीमित न रखते हुए इसे ऐसी रूपरेखा में ढालना आवश्यक है जो विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल, नवाचार क्षमता और अनुकूलनशीलता का भी मूल्यांकन कर सके। इससे वे वास्तविक जीवन की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकेंगे। इस परिवर्तनशील शैक्षिक परिदृश्य में शिक्षकों की भूमिका केवल ज्ञान देने वाले के रूप में न होकर मार्गदर्शक, प्रेरणादायक और सहयोगी के रूप में होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और जिज्ञासु बनाते हुए उन्हें 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशलों से सुसज्जित कर सके। इस प्रकार दक्षता–आधारित शिक्षण पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों को एक सशक्त, आत्मविश्वासी और वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

तद्क्रम में सत्र 2025–26 हेतु हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर संचालित विषयों का पाठ्यक्रम परिषद् द्वारा वेबसाइट लिंक https://ubse.uk.gov.in/pages/display/88-syllabus पर अपलोड कर प्रसारित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश निम्नवत् हैं–

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर संचालित विभिन्न विषयों के सैद्धान्तिक भाग का पाठ्यक्रम तथा प्रोजेक्ट/आन्तरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक दिशानिर्देश अपलोड किये गये हैं।
2. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की शिक्षण–अधिगम–आकलन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम में ऐसी विषयवस्तु सम्मिलित हैं जो निर्धारित पाठ्यपुस्तक में उपलब्ध नहीं हैं, तो अध्यापक उन विषयों के आवश्यक नोट्स विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे। साथ ही, विद्यार्थियों में न केवल पाठ्यपुस्तकों में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करने की दक्षता विकसित की जानी चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों को समझने और समाधान करने की क्षमता भी विकसित की जानी आवश्यक है।
3. हाईस्कूल स्तर पर **कक्षा 9 व 10 में हिन्दी विषय के 'अनिवार्य संस्कृत' भाग व सामाजिक विज्ञान के 'आपदा प्रबन्धन' भाग तथा कक्षा 9 की गृह विज्ञान विषय की नवीन पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा विकसित की गयी है, जिनका पाठ्यक्रम यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।**
4. इण्टरमीडिएट स्तर पर **कक्षा 11 में हिन्दी विषय के 'अनिवार्य संस्कृत' भाग की नवीन पाठ्यपुस्तक एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड द्वारा विकसित की गयी है, जिसका पाठ्यक्रम यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।**
5. सत्र 2024–25 में **संस्कृत, हिन्दुस्तानी संगीत गायन, हिन्दुस्तानी संगीत वादन व हिन्दुस्तानी संगीत पर्कसन** का संशोधित पाठ्यक्रम (सी0बी0एस0ई0 के अनुरूप) कक्षा 11 में लागू किया गया था। वर्तमान सत्र 2025–26

में उपरोक्त विषयों के लिए कक्षा 12 में भी सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है।

6. कक्षा 9 व 11 के कुछ विषयों के पाठ्यक्रम में पूर्व में हटायी गयी कुछ विषय–सामग्री को विषयवस्तु को क्रमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से पुनः शामिल किया गया है। **यद्यपि इस भाग का आकलन नहीं किया जाएगा।** इसके लिए विषयाध्यापक कक्षा में आवश्यक नोट्स तैयार करवाएंगे, जिससे छात्रों को बेहतर समझ प्राप्त हो सके।
7. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर विषय संयोजन, उत्तीर्णता मापदण्ड व कृपांक व्यवस्था तथा गृह व परिषदीय् परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से सम्बन्धित दिशानिर्देश पूर्व की भांति यथावत हैं। इसी प्रकार इकाई परीक्षा व प्रोन्नति सम्बन्धी आवश्यक दिशानिर्देश व नियम भी पूर्व की भांति यथावत हैं।
8. **व्यावसायिक शिक्षा विषय** केवल समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा चयनित राजकीय विद्यालयों में ही संचालित किये जायें। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा विषयों में हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट स्तर पर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का पंजीकरण कदापि न किया जाय।
9. एन0ई0पी0 2020 एवं एन0सी0एफ0–एस0ई0 2023 की अनुशंसाओं के आलोक में परख, एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्तमान सत्र 2025–26 से परिषद् द्वारा संचालित की जाने वाली हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षाओं के विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्रों में परम्परागत रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ–साथ एक निश्चित अंकभार अनुपात (लगभग 25%) में दक्षता आधारित व उच्चस्तरीय चिन्तन कौशल वाले प्रश्नों का समावेश भी अनिवार्य रूप से किया जाना है तथा आगामी अकादमिक सत्रों में इस अनुपात को क्रमिक रूप से बढ़ाया जाना है। इस क्रम में प्रदेश के सभी परीक्षार्थियों को परिषदीय परीक्षा के प्रति सहज बनाने व भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से परिषद् द्वारा प्रथम चरण में चयनित विषयों में दक्षता आधारित व उच्च स्तरीय चिन्तन कौशल प्रकार के प्रश्नों का एक प्रतिदर्श प्रश्न बैंक निर्मित किया गया है, जिसे यथाशीघ्र परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अतः तद्नुसार शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अभिप्रेरित किया जाये।
10. इस सम्बन्ध में किसी भी सुझाव, जानकारी अथवा शंका समाधान के लिए निम्नांकित अधिकारी/कार्मिकों से सम्पर्क किया जा सकता हैं–

    1– श्री बी0 एम0 एस0 रावत, अपर सचिव – 8755617431
    2– श्री शैलेन्द्र जोशी, शोध अधिकारी – 7055513072
    3– डा0 नन्दन सिंह बिष्ट, शोध अधिकारी – 7906489456

उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपने जनपद के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों, विषयाध्यापकों व विद्यार्थियों के तत्काल अवगत कराने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

7/4/2025

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0स0: उ0वि0शि0प0/शोध/पाठ्यक्रम (2025–26)/ 05-14 /2025–26 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उत्तराखण्ड ***(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।***
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड ***(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।***
9. समस्त संस्थाध्यक्ष उत्तराखण्ड ***(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।***

7/4/2025

(वी0पी0 सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।